



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13112021-231110
CG-DL-E-13112021-231110

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4330]
No. 4330]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 11, 2021/कार्तिक 20, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 11, 2021/KARTIKA 20, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2021

का.आ. 4695(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ 4161 दिनांक 8 अक्टूबर 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (ii) दिनांकित 8 अक्टूबर 2021, में प्रकाशित की गई थी, में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन किया गया है।

पूर्वोक्त अधिसूचना की प्रस्तावना में "सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अतिरिक्त ज़िला कलेक्टर - प्रथम, अलवर" के बदले "सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपखण्ड अधिकारी, कोटपूतली, जयपुर" शब्द अतः स्थापित किया जाता है।

[फा. सं. NHAI/PIU/Sohna/Paniyala-Alwar-Barodameo/2021/3A Corr.]

राजेश गुप्ता, निदेशक

पाद टिप्पणी: मूल अधिसूचना संख्या का. आ 4161 दिनांक 8 अक्टूबर 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (ii) दिनांकित 8 अक्टूबर 2021, में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**CORRIGENDUM**

New Delhi the 11th November, 2021

S.O. 4695 (E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport & Highways number S.O.4161(E) dated 8th October, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, sub section-(ii), dated 8th October, 2021, namely:-

In the preamble of the aforesaid notification "Competent Authority, namely, Additional District Magistrate-1, Alwar" the words "Competent Authority, namely, Sub Divisional Officer, Kotputli, Jaipur" shall be substituted.

[F. No. NHAI/PIU/Sohna/Paniyala-Alwar-Barodameo/2021/3A Corr.]

RAJESH GUPTA, Director

Foot Note: The principal Notification was published vide S.O.4161 (E) dated 8th October, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, sub section-(ii), dated 8th October, 2021.